न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 01/2006
GCMS NO. : 2006/00089

-:: वादीगण :- **बनाम** **-:: प्रतिवादीगण :-**

वादीगण:

1. भंवरलाल पुत्र मोहनलाल के का0मु0
   1/1. सुशीला पत्नी भंवरलाल
   1/2. कुन्दनकुमार पुत्र भंवरलाल
   1/3. अनुजकुमार पुत्र भंवरलाल
   1/4. सुप्रिया पुत्री भंवरलाल
   जाति- सुथार, निवासी- बिरोल, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।

प्रतिवादीगण:

1. मांगीलाल पुत्र दौलाराम के का0मु0
   1/1. रामदेव पुत्र मांगीलाल
2. बंशीलाल पुत्र दौलाराम के का0मु0
   2/1. मोतीराम पुत्र बंशीलाल
   2/1/1. सौरभ पुत्र मोतीराम
   2/1/2. सपना पुत्री मोतीराम
   2/1/3. मिसोमाला पत्नी मोतीराम
   2/2. घनश्याम पुत्र बंशीलाल
   2/3. राधेश्याम पुत्र बंशीलाल
   2/4. रमेशचन्द्र पुत्र बंशीलाल
   2/5. शांतादेवी पुत्री बंशीलाल
   2/6. दाकूदेवी पत्नी बंशीलाल
3. सुरेन्द्र कुमार उर्फ हापूराम पुत्र दौलाराम के का0मु0
   3/1. ओमप्रकाश पुत्र सुरेन्द्र कुमार
   3/2. श्यामलाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार
   3/3. मैना पत्नी सुरेन्द्र कुमार
   जातियान- सुथार, निवासीगण- बिरोल
4. रामा पुत्र हेमा के का0मु0
   4/1. ढगलाराम पुत्र रामा
   4/2. मदनगोपाल पुत्र रामा
   4/3. नारायण पुत्र रामा के का0मु0
   4/3/1. प्रकाश पुत्र नारायण
   4/3/2. कमली पत्नी नारायण
   जाति- सुथार, निवासी- ठाकरवास तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।
5. तहसीलदार जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.03.01.2006

उपस्थित:- 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण

-:: निर्णय ::-

दिनॉक:- 31/05/2022

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादी संख्या 1 के ... वादिया संख्या 2 का पति तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 03 ... ... दौलाराम की संतान ... जो प्रस्तुत वंशावली से स्पष्ट होता है। सरहद मौजा सोमावास पटवार हल्का पटवार ... वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.16 10:58:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

खसरा नम्बर 44 रकबा 03-10 बीघा, खसरा नम्बर 48 रकबा 08-02 बीघा कुल रकबा 11-12 बीघा आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक 1/4, 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है, हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। सरहद मौजा खाती खेड़ा पटवार हल्का गरनिया में वादीगण एवं प्रतिवादी 1 से 3 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 103 रकबा 07-01 बीघा आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा व काश्त करते है। सरहद मौजा मालपूरिया पटवार हल्का बिरोल में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 222 रकबा 02-01 बीघा, खसरा नम्बर 225 रकबा 14-05 बीघा कुल रकबा 16-06 बीघा आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/4, 1/4 हिस्सा है। हिस्सेनुसार मौके पर काबिज व काश्त करते है। सरहद मौजा बांझाकुड़ी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 839/2 रकबा 11-10 बीघा किंस्म बारानी अव्वल आई हुई हैं। उक्त कृषि भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/4, 1/4 हिस्सा है। हिस्सेनुसार मौके पर काबिज व काश्त करते है। सरहद मौजा बांझाकुड़ी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 470 रकबा 08-05 बीघा, खसरा नम्बर 471 रकबा 03-16 बीघा, खसरा नम्बर 473 रकबा 07-06 बीघा, खसरा नम्बर 474 रकबा 06-00 बीघा कुल रकबा 25-07 बीघा आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में वादीगण का 125 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/5, 1/5 है तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 से 7 का 1/5 हिस्सा है। हिस्सेनुसार ही काबिज होकर काश्त करते है। वादपत्र के पद संख्या 2 से 6 में दर्ज कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज है, जिसका कानूनन बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड नहीं हो रखा है। जिसका कानूनन बंटवाड़ा आवश्यक है। उक्त कृषि भूमि सामलाती दर्ज होने से वादीगण अपनी कृषि भूमि पर अलग से कुआ खुदवाने, खाद बीज डालने के लिये बैंक ऋण लेने में कठिनाई पैदा होती है, अपनी कृषि भूमि पर बैंक के ऋण के कागजात पर प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर हेतु कहा तो इन्कार हुये तब वादीगण ने सामलाती खातेदारी भूमि का कानूनन बंटवाड़ा बाबत् प्रतिवादीगण को दिनांक 05.11.2005 को कहा तो इन्कार हुये इतना ही नहीं वादीगण को उसके हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण ने काश्त करनें से भी मना किया। वादीगण अपने हिस्से की भूमि का विधिवत् बंटवाड़ा नहीं होनें से न तो बैंक से ऋण ले सकता है, न ही अपने हिस्से की भूमि पर खाद बीज डालकर उपजाऊ कर सकता है, न ही अधिक उपज ले सकता है। वादीगण अपने जायज अधिकारी से वंचित हो जायेगा। वादीगण ने प्रतिवादीगण [illegible] कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हुये व वादीगण के कब्जे काश्त की [illegible] धमकी दी व लड़ाई झगड़ा करनें पर आमदा हुये [illegible] वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा को विरुद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया है। प्रति[illegible]गण संख्या 8 तहसीलदार जैतारण है जो भूमिधारी राजस्थान सरकार होनें से बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.16 10:58:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण जिला-पाली

बनाया है। बिनाय वाद दिनांक 05.11.2005 वादीगण ने प्रतिवादीगण को बंटवाड़ा बाबत् कहा तो इन्कार हुय व वादीगण को काश्त करनें से भी मना किया तब बमुकाम बिरोल तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के अधिकार क्षैत्र में है

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो सामिल मिसल है। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 ने जवाबदावा पेश कर कथन किया है कि पदसंख्या एक में वर्णित कथन सही होने से स्वीकार है। वाद के पद संख्या 2 पूर्णतया गलत व बेबूनियाद है जिसे प्रतिवादी नामंजूर करते है। सरहद मौजा सोमावास में वाके आराजी खसरा नम्बर 44, 48, कुल रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा जरूर वाके है व इसे वर्षो पूर्वे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व वादी के पिता व पति मोहनलाल द्वारा भीकाराम मेघवाल को खसरा नम्बर 48 रकबा 08-02 बीघा बैचान कर दी मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया जो पिछले 15 वर्षो से खातेदार काश्तकार के काबिज है। यह भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की होने का कथन गलत है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का 1/4 हिस्सा पर मौके पर कब्जा होने व खातेदार काश्तकार होने के कथन गलत है। इस प्रकार खसरा नम्बर 44 रकबा 03-10 बीघा भूमि भी वादी के पति व पिता व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 03 की खातेदारी व कब्जा के कथन गलत है। इस भूमि पर वादी पिछले 20 वर्षो से हजारी जी कुमावत का कब्जा काश्त है व वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 आउट ऑफ पजेशन है व वादी व प्रतिवादी पिछले 12 वर्षो से आउट ऑफ पजेशन होने से उनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। उक्त तथ्यों के अलावा पूरा फिकरा गलत है व अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 03 पूर्णतया फिकरा गलत व अस्वीकार है। जिसे प्रतिवादी नामंजूर करते है। सरहद मौजा खाती खेड़ा में खसरा नम्बर 103 रकबा 07-01 बीघा किस्म बारानी द्वितीय वाके है। जो पिछले 20 वर्षो से वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के बीच पारिवारिक प्रबन्ध व पारिवारिक बंटवाड़े के अनुसार वादी के हिस्से व कब्जे व काश्त में है और इसके एक मात्र खातेदार वादी ही है व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का उसके हिस्से की ऐवज में मालपूरिया व बांजाकुड़ी की वादी के हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को दे दी गई है। वाद के पद संख्या 4 पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है जिसे प्रतिवादी नामंजूर करते हैं सरहद मौजा मालपूरिया में वाके कृषि भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 2-01 बीघा किस्म बारानी, खसरा नम्बर 225 रकबा 14-05 बीघा किस्म बारानी दोयम वाके हैं जो कुल रकबा 16-06 बीघा बारानी दोयम वाके है। इसमें वादी का 1/4 हिस्साक होने व 1/4 हिस्से की भूमि पर काबिज होने व काश्त होने के कथन गलत है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 222 व 225 सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के वादी के पिता व पति श्री मोहनलाल व प्रतिवादी मांगीलाल, बंशीलाल जी व सुरेन्द्र कुमार चारों भाईयों के आपस में पारिवारिक बंटवाड़ा के [illegible] से करीब 30 वर्ष पूर्व चारों भाईयों ने आपस में भूमि का ब[illegible] करते है। व सरहद मौजा मालपूरिया में वाके खसरा नम्बर [illegible] प्रतिवादी संख्या 01 से 03 अलग से काबिज होकर काश्त करते है। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का कुआं बना हुआ है व बिजली कनेक्शन है व भवन आदि है। वाद के पद संख्या पांच पूर्णतया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.16 10:58:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

गलत है प्रतिवादी नामंजूर करते है। सरहद मौजा बांजाकुड़ी में वाके कृषि भूमि खसरा नम्बर 839/2 रकबा 11–10 बीघा बारानी प्रथम जरूर वाके है। जो प्रतिवादी संख्या 01 से 03 बाद पारिवारिक बंटवाड़ा उनके हिस्से की भूमि होने से बतौर काश्तकार के काबिज है व इस पर वादी का 1/4 हिस्सा होने व कब्जा काश्त होने के कथन गलत है व अस्वीकार है। पूर्व में ही बंटवाड़ा हो चुका है। वाद के पद संख्या 06 पूर्णतया गलत है प्रतिवादी नामंजूर करते है। सरहद मौजा बांजाकुड़ी में वाके कृषि भूमि खसरा नम्बर 470 रकबा 08–05 बीघा, खसरा नम्बर 471 रकबा 03–16 बीघा, खसरा नम्बर 473 रकबा 07–06 बीघा व खसरा नम्बर 474 रकबा 06 बीघाा कुल रकबा 25–07 बीघा। इसके 1/3 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है जरिये पारिवारिक प्रबन्ध के इस 1/3 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बतौर खातेदार के काबिज है व काश्त करते है। व इसके 1/3 हिस्से में 1/5 हिस्सा में वादी का हिस्सा होना व कब्जा होने के कथन गलत है। उक्त तथ्यों के अलावा पूरा फिकरा गलत है व अस्वीकार है। सरहद मौजा खातीखेड़ा में खसरा नम्बर 107 रकबा 07–01 बीघा भूमि वादीगण के अकेले की बंटवाड़े के हक हिस्से की है व सरहद मौजा सोमावास में वाके खसरा नम्बर 44 व 44 की भूमि वादी व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की नहीं है। पूर्व में किये गये बंटवाड़ा व कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हिस्से में बंटवाड़ा में सरहद मौजा गांव मालपूरिया में वाके आराजी 222 व 225 व सरहद मौजा बांजाकुड़ी में खसरा नम्बर 839/2 व खसरा नम्बर 470, 471, 473, 474 में 1/3 हिस्से की भूमि बंटवाड़े में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम दर्ज की जावें व मौके पर कब्जा व काश्त व पूर्व में किये गये बंटवाड़ा अनुसार तकास्मा दर्ज किया जावें तो उसमें प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को कोई उजर ऐताराज नहीं है। वादपत्र के पद संख्या 8 गलत होने से अस्वीकार करते है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, जवाब जवाबदावा, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, साक्ष्य शपथ पत्र, इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा सोमावास, पटवार हल्का जैतारण, में स्थित खसरा नम्बर 44 रकबा 03–10 बीघा, खसरा नम्बर 48 रकबा 08–02 बीघा, कुल रकबा 11–12 बीघा, सरहद मौजा खातीखेड़ा पटवार हल्का गरनिया के खसरा संख्या 103 रकबा 07–01 बीघा, सरहद मौजा मालपुरिया पटवार हल्का बिरोल में खसरा संख्या 222 रकबा 02–01 बीघा, खसरा संख्या 225 रकबा 14–05 बीघा कुल रकबा 16–06 बीघा, सरहद मौजा बांजाकुड़ी पटवार हल्का बांजाकुड़ी में खसरा नम्बर 839/2 रकबा 11–10 बीघा, खसरा संख्या 470 रकबा 08–05 बीघा, खसरा नम्बर 471 रकबा 03–16 बीघा, खसरा नम्बर 4[illegible] रकबा 0[illegible] बीघा, खसरा नम्बर 474 रकबा 06–00 बीघा कुल रकबा 25–07 बीघा [illegible]058–2061, 2060–2063, 2059–2062, 2061–2064 [illegible] किया गया। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने [illegible] के खातेदार काश्तकार दर्ज है, जिसमें वादीगण के हक–हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.16 10:58:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा सोमावास, पटवार हल्का जैतारण, में स्थित खसरा नम्बर 44 रकबा 03–10 बीघा, खसरा नम्बर 48 रकबा 08–02 बीघा, कुल रकबा 11–12 बीघा, सरहद मौजा खातीखेड़ा पटवार हल्का गरनिया के खसरा संख्या 103 रकबा 07–01 बीघा, सरहद मौजा मालपुरिया पटवार हल्का बिरोल में खसरा संख्या 222 रकबा 02–01 बीघा, खसरा संख्या 225 रकबा 14–05 बीघा कुल रकबा 16–06 बीघा, सरहद मौजा बांजाकुड़ी पटवार हल्का बांजाकुड़ी में खसरा नम्बर 839/2 रकबा 11–10 बीघा, खसरा संख्या 470 रकबा 08–05 बीघा, खसरा नम्बर 471 रकबा 03–16 बीघा, खसरा नम्बर 473 रकबा 07–06 बीघा, खसरा नम्बर 474 रकबा 06–00 बीघा कुल रकबा 25–07 बीघा भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/05 दिनांक 10.01.2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/3304 दिनांक 13/05/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सोमावास, पटवार हल्का जैतारण, में स्थित खसरा नम्बर 44 रकबा 03–10 बीघा, खसरा नम्बर 48 रकबा 08–02 बीघा, कुल रकबा 11–12 बीघा, सरहद मौजा खातीखेड़ा पटवार हल्का गरनिया के खसरा संख्या 103 रकबा 07–01 बीघा, सरहद मौजा मालपुरिया पटवार हल्का बिरोल में खसरा संख्या 222 रकबा 02–01 बीघा, खसरा संख्या 225 रकबा 14–05 बीघा कुल रकबा 16–06 बीघा, सरहद मौजा बांजाकुड़ी पटवार हल्का बांजाकुड़ी में खसरा नम्बर 839/2 रकबा 11–10 बीघा, खसरा संख्या 470 रकबा 08–05 बीघा, खसरा नम्बर 471 रकबा 03–16 बीघा, खसरा नम्बर 473 रकबा 07–06 बीघा, खसरा नम्बर 474 रकबा 06–00 बीघा कुल रकबा 25–07 बीघा भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.16 10:58:56 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	भंवरलाल पुत्र मोहनलाल फौत के का.मु. सुशीला पत्नी भंवरलाल 1/4 कुन्दनकुमार पुत्र	48/2	0.4695	बा. अ.	-

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

	भंवरलाल 1/4 अनुजकुमार पुत्र भंवरलाल 1/4 सुप्रिया पुत्री भंवरलाल 1/4 कौम सुथार सा. बिरोल खातेदार				
2.	मांगीलाल पुत्र दोलाराम फौत के का.मु. रामदेव पुत्र मांगीलाल कौम सुथार सा. बिरोल खातेदार	48/1	0.4695	बा. अ.	-
3.	बंशीलाल पुत्र दोलाराम फौत के का.मु. घनश्याम पुत्र बंशीलाल 1/6 राधेश्याम पुत्र बंशीलाल 1/6 रमेशचंद पुत्र बंशीलाल 1/6 शांतादेवी पुत्री बंशीलाल 1/6 दाकुदेवी पत्नी बंशीलाल 1/6, सौरभ पुत्र मोतीराम 1/18 सपना पुत्री मोतीराम 1/18 मिसोमाला पत्नी मोतीराम 1/18 कौम सुथार सा.देह बिरोल खातेदार	48	0.3722	बा. अ.	-
		44/1	0.0972	बा. अ.	-
4.	सुरेन्द्र कुमार पुत्र दोलाराम फौत के का.मु ओमप्रकाश पुत्र सुरेन्द्र कुमार 1/3 श्यामलाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार 1/3 मैना पत्नी सुरेन्द्र कुमार 1/3 कौम सुथार सा. बिरोल खातेदार	44	0.4694	बा. अ.	-
	ग्राम सोमावास कुल खसरा संख्या 2	**44**	**0.5660**	**बा. अ.**	**0.35**
		48	**1.3112**	**बा. अ.**	**0.81**
5.	अनुज पुत्र भंवरलाल 1/4 कुन्दन पुत्र भंवरलाल 1/4 सुप्रिया पुत्री भंवरलाल 1/4 सुशीला देवी पत्नी भंवरलाल 1/4 कौम सुथार सा. बिरोल खातेदार	103	1-1412	बा.दो.	0.35
	ग्राम खातीखेड़ा कुल खसरा संख्या 1	**103**	**1.1412**	**बा.दो.**	**0.35**
6.	सुशीला पत्नी भंवरलाल 1/4 कुन्दनकुमार पुत्र भंवरलाल 1/4 अनुज पुत्र भंवरलाल 1/4 सुप्रिया पुत्री भंवरलाल 1/4 कौम सुथार सा. बिरोल खातेदार	222	0.3318	बा.दो.	0.10
7.	रामेदव पुत्र मांगीलाल कौम सुथार सा. बिरोल खातेदार	225/2	0.1861	बा.दो.	-
		225/5	0.5260	बा.दो.	-
		225/7	0.0350	बा.दो.	-
8.	घनश्याम पुत्र बंशीलाल 1/6 राधेश्याम पुत्र बंशीलाल 1/6 रमेशचंद पुत्र बंशीलाल 1/6 शांतादेवी पुत्री बंशीलाल 1/6 दाकुदेवी पत्नी बंशीलाल 1/6, सौरभ पुत्र मोतीराम 1/18 सपना पुत्री मोतीराम 1/18 मिसोमाला पत्नी मोतीराम 1/18 कौम सुथार सा.देह बिरोल खातेदार	225/1	0.1861	बा.दो.	-
		225/4	0.5260	बा.दो.	-
		225/7	0.0350	बा.दो.	-
9.	ओमप्रकाश पुत्र सुरेन्द्र कुमार 1/3 श्यामलाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार 1/3 मैना पत्नी सुरेन्द्र कुमार 1/3 कौम सुथार सा. बिरोल खातेदार	225	0.7121	बा.दो.	-
10	शामलात बद. खाता	225/3	0.1004	बा.दो.	-
	ग्राम मालपुरिया कुल खसरा संख्या 2	**222**	**0.3318**	**बा.दो.**	**0.10**
		225	**2.3067**	**बा.दो.**	**0.72**
11	रामदेव पुत्र मांगीलाल कौम सुथार सा.देह खातेदार	839/2	1.8616	बा. अ.	1.15
12	भंवरलाल पुत्र मोहनलाल फौत के का.मु. सुशीला पत्नी भंवरलाल 1/4 कुन्दनकुमार पुत्र भंवरलाल 1/4 अनुजकुमार पुत्र भंवरलाल 1/4 सुप्रिया पुत्री भंवरलाल 1/4 कौम सुथार सा. बिरोल खातेदार	470/1	0.3480	बा. अ.	-
13	घनश्याम पुत्र बंशीलाल 1/6 राधेश्याम पुत्र बंशीलाल 1/6 रमेशचंद पुत्र बंशीलाल 1/6 शांतादेवी पुत्री बंशीलाल 1/6 दाकुदेवी पत्नी बंशीलाल 1/6, सौरभ पुत्र मोतीराम 1/18 सपना पुत्री मोतीराम 1/18 मिसोमाला पत्नी मोतीराम 1/18 कौम सुथार सा.देह बिरोल खातेदार	470	0.9875	बा. अ.	-
		471	0.6151	बा. अ.	-
		473/1	0.2752	बा. अ.	-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.16 10:38:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जिला-पाली

14	ओमप्रकाश पुत्र सुरेन्द्र कुमार 1/3 श्यामलाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार 1/3 मैना पत्नी सुरेन्द्र कुमार 1/3 कौम सुथार सा. बिरोल खातेदार	473	0.9065	बा. अ.	-
		474	0.9712	बा. अ.	-
	ग्राम बांझाकुड़ी कुल खसरा संख्या 5	**470**	**1.3355**	**बा. अ.**	**0-83**
		471	**0.6151**	**बा. अ.**	**0.38**
		473	**1.1817**	**बा. अ.**	**0.73**
		474	**0.9712**	**बा. अ.**	**0.60**
		839/2	**1.8616**	**बा. अ.**	**1.15**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 31/05/2022को सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.16 10:58:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादी :–
1. भंवरलाल पुत्र मोहनलाल के का0मु0
   1/1. सुशीला पत्नी भंवरलाल
   1/2. कुन्दनकुमार पुत्र भंवरलाल
   1/3. अनुजकुमार पुत्र भंवरलाल
   1/4. सुप्रिया पुत्री भंवरलाल
   जाति– सुथार, निवासी– बिरोल, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–
1. मांगीलाल पुत्र दौलाराम के का0मु0
   1/1. रामदेव पुत्र मांगीलाल
2. बंशीलाल पुत्र दौलाराम के का0मु0
   2/1. मोतीराम पुत्र बंशीलाल
   2/1/1. सौरभ पुत्र मोतीराम
   2/1/2. सपना पुत्री मोतीराम
   2/1/3. मिसोमाला पत्नी मोतीराम
   2/2. घनश्याम पुत्र बंशीलाल
   2/3. राधेश्याम पुत्र बंशीलाल
   2/4. रमेशचन्द्र पुत्र बंशीलाल
   2/5. शांतादेवी पुत्री बंशीलाल
   2/6. दाकूदेवी पत्नी बंशीलाल
3. सुरेन्द्र कुमार उर्फ हापूराम पुत्र दौलाराम के का0मु0
   3/1. ओमप्रकाश पुत्र सुरेन्द्र कुमार
   3/2. श्यामलाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार
   3/3. मैना पत्नी सुरेन्द्र कुमार
   जातियान– सुथार, निवासीगण– बिरोल
4. रामा पुत्र हेमा के का0मु0
   4/1. ढगलाराम पुत्र रामा
   4/2. मदनगोपाल पुत्र रामा
   4/3. नारायण पुत्र रामा के का0मु0
   4/3/1. प्रकाश पुत्र नारायण पुत्र रामा
   4/3/2. कमली पत्नी नारायण जाति– सुथार, निवासी– ठाकरवास तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।
5. तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

<u>राजस्व वाद</u> बाबत् <u>बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0: 01/2006

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई तथा श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सोमावास, पटवार हल्का जैतारण, में स्थित खसरा नम्बर 44 रकबा 03-10 बीघा, खसरा नम्बर 48 रकबा 08-02 बीघा, कुल रकबा 11-12 [illegible] सरहद मौजा खातीखेड़ा पटवार हल्का गरनिया के खसरा संख्या 1[illegible] रकबा 07-0[illegible] बीघा, सरहद मौजा मालपुरिया पटवार हल्का बिरोल में खसरा संख्या 222 रकबा [illegible]1 बीघा, खसरा संख्या 225 रकबा 14-05 बीघा कुल रकबा 16-06 बीघा, सरहद मौजा बांजाकुड़ी पटवार हल्का बांजाकुड़ी में खसरा नम्बर 839/2 रकबा 11-10 बीघा, खसरा संख्या 470 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.16 10:58:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

08-05 बीघा, खसरा नम्बर 471 रकबा 03-16 बीघा, खसरा नम्बर 473 रकबा 07-06 बीघा, खसरा नम्बर 474 रकबा 06-00 बीघा कुल रकबा 25-07 बीघा भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	भंवरलाल पुत्र मोहनलाल फौत के का.मु. सुशीला पत्नी भंवरलाल 1/4 कुन्दनकुमार पुत्र भंवरलाल 1/4 अनुजकुमार पुत्र भंवरलाल 1/4 सुप्रिया पुत्री भंवरलाल 1/4 कौम सुथार सा. बिरोल खातेदार	48/2	0.4695	बा.अ.	-
2.	मांगीलाल पुत्र दोलाराम फौत के का.मु. रामदेव पुत्र मांगीलाल कौम सुथार सा. बिरोल खातेदार	48/1	0.4695	बा.अ.	-
3.	बंशीलाल पुत्र दोलाराम फौत के का.मु. घनश्याम पुत्र बंशीलाल 1/6 राधेश्याम पुत्र बंशीलाल 1/6 रमेशचंद पुत्र बंशीलाल 1/6 शांतादेवी पुत्री बंशीलाल 1/6 दाकुदेवी पुत्री बंशीलाल 1/6, सौरभ पुत्र मोतीराम 1/18 सपना पुत्री मोतीराम 1/18 मिसोमाला पत्नी मोतीराम 1/18 कौम सुथार सा.देह बिरोल खातेदार	48	0.3722	बा.अ.	-
		44/1	0.0972	बा.अ.	-
4.	सुरेन्द्र कुमार पुत्र दोलाराम फौत के का.मु ओमप्रकाश पुत्र सुरेन्द्र कुमार 1/3 श्यामलाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार 1/3 मैना पत्नी सुरेन्द्र कुमार 1/3 कौम सुथार सा. बिरोल खातेदार	44	0.4694	बा.अ.	-
	ग्राम सोमावास कुल खसरा संख्या 2	**44**	**0.5660**	**बा.अ.**	**0.35**
		48	**1.3112**	**बा.अ.**	**0.81**
5.	अनुज पुत्र भंवरलाल 1/4 कुन्दन पुत्र भंवरलाल 1/4 सुप्रिया पुत्री भंवरलाल 1/4 सुशीला देवी पत्नी भंवरलाल 1/4 कौम सुथार सा. बिरोल खातेदार	103	1-1412	बा.दो.	0.35
	ग्राम खातीखेड़ा कुल खसरा संख्या 1	**103**	**1.1412**	**बा.दो.**	**0.35**
6.	सुशीला पत्नी भंवरलाल 1/4 कुन्दनकुमार पुत्र भंवरलाल 1/4 अनुज पुत्र भंवरलाल 1/4 सुप्रिया पुत्री भंवरलाल 1/4 कौम सुथार सा. बिरोल खातेदार	222	0.3318	बा.दो.	0.10
7.	रामेदव पुत्र मांगीलाल कौम सुथार सा. बिरोल खातेदार	225/2	0.1861	बा.दो.	-
		225/5	0.5260	बा.दो.	-
		225/7	0.0350	बा.दो.	-
8.	घनश्याम पुत्र बंशीलाल 1/6 राधेश्याम पुत्र बंशीलाल 1/6 रमेशचंद पुत्र बंशीलाल 1/6 शांतादेवी पुत्री बंशीलाल 1/6 दाकुदेवी पुत्री बंशीलाल 1/6, सौरभ पुत्र मोतीराम 1/18 सपना पुत्री मोतीराम 1/18 मिसोमाला पत्नी मोतीराम 1/18 कौम सुथार सा.देह बिरोल खातेदार	225/1	0.1861	बा.दो.	-
		225/4	0.5260	बा.दो.	-
		225/7	0.0350	बा.दो.	-
9.	ओमप्रकाश पुत्र सुरेन्द्र कुमार 1/3 श्यामलाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार 1/3 मैना पत्नी सुरेन्द्र कुमार 1/3 कौम सुथार सा. बिरोल खातेदार	225	0.7121	बा.दो.	-
10	शामलात बद. खाता	225/3	0.1004	बा.दो.	-
	ग्राम मालपुरिया कुल खसरा संख्या 2	**222**	**0.3318**	**बा.दो.**	**0.10**
		225	**2.3067**	**बा.दो.**	**0.72**
11	रामदेव पुत्र मांगीलाल कौम सुथार [illegible] खातेदार	839/2	1.8616	बा.अ.	1.15
12	भंवरलाल पुत्र मोहनलाल फौत के का.मु. सुशीला पत्नी भंवरलाल 1/4 कुन्दनकुमार पुत्र भंवरलाल 1/4 अनुजकुमार पुत्र भंवरलाल 1/4 सुप्रिया पुत्री भंवरलाल 1/4 कौम सुथार सा.	170/1	0.3480	बा.अ.	-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.16 10:58:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण. जिला-पाली

	बिरोल खातेदार				
13	घनश्याम पुत्र बंशीलाल 1/6 राधेश्याम पुत्र बंशीलाल 1/6 रमेशचंद पुत्र बंशीलाल 1/6 शांतादेवी पुत्री बंशीलाल 1/6 दाकुदेवी पुत्री बंशीलाल 1/6, सौरभ पुत्र मोतीराम 1/18 सपना पुत्री मोतीराम 1/18 मिसोमाला पत्नी मोतीराम 1/18 कौम सुथार सा.देह बिरोल खातेदार	470	0.9875	बा.अ.	-
		471	0.6151	बा.अ.	-
		473/1	0.2752	बा.अ.	-
14	ओमप्रकाश पुत्र सुरेन्द्र कुमार 1/3 श्यामलाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार 1/3 मैना पत्नी सुरेन्द्र कुमार 1/3 कौम सुथार सा. बिरोल खातेदार	473	0.9065	बा.अ.	-
		474	0.9712	बा.अ.	-
	ग्राम बांझाकुड़ी कुल खसरा संख्या 5	**470**	**1.3355**	**बा.अ.**	**0-83**
		471	**0.6151**	**बा.अ.**	**0.38**
		473	**1.1817**	**बा.अ.**	**0.73**
		474	**0.9712**	**बा.अ.**	**0.60**
		839/2	**1.8616**	**बा.अ.**	**1.15**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 31/05/2022 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	08-00	स्टाम्प वकालतनामा	03-00
स्टाम्प वकालतनामा	12-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	-	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	03-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	08-00	मुत्फरिक	
मिजानः–	31-00	मिजानः–	03-00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.16 10:58:56 IST
Reason: SelfAttested